न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 123/2025 बउनवानी खेलन्ता बाई सैनी बनाम उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर निवासी रामशाला चौक वार्ड नम्बर 23 बौली

GCMS No-2025/ 261 **Appeal Number- 3211355504328890**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
24.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 20.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *" ग्राम मायापुर ढाणी मलारना डूँगर अभी तक अपना खाता पोर्टल भू नक्शा,ऑनलाईन नही होने , ऑन लाईन किये जाने की दिशा मे उठाये गये कदमो की जानकारी तथा राधेश्याम पुत्र श्रवण माली के नाम के सभी खातो की कृषि भूमि की जमाबन्दी, नक्शे की प्रमाणित सूचना"* उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूकाअ/अपील/2025/353 दिनांक 9.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही सूचना सूचना का संबंध तहसीलदार मलारना डूँगर से होने उक्त सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाने बाबत लिखा जाने पर तहसीलदार मलारना डूँगर के पत्रांक भू0अ0/2025/2040 दिनांक 29.8.2025 से प्राप्त बिन्दुवार रिपोर्ट मय रिकार्ड की प्रति अपीलान्ट को ऑनलाईन क्रमांक 5647138406 दिनांक 1.9.2025 से भिजवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 20.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना , लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर द्वारा तहसीलदार मलारना डूँगर से प्राप्त की जाकर दिनांक 1.9.2025 को अपीलान्ट को ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से ही उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner